[2021] 9 एस. सी. आर 433

रश्मीता विश्वास और ओआरएस।

वी.

विभागीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीमा

कंपनी लिमिटेड। AND ANDR।

(2021 की सिविल अपील संख्या 7549)

08 दिसंबर, 2021

[एस. अब्दुल नजीर और कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988: घातक दुर्घटना-क्षतिपूर्ति

पीड़ित-33 वर्ष की आयु के मृतक की मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो गई-अभिलेख पर साक्ष्य कि वह पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहा था और उसका मासिक वेतन Rs.15,000 था-न्यायाधिकरण ने गुणक '16' को अपनाया और आय का एक-चौथाई हिस्सा व्यक्तिगत खर्चों के लिए काटने के बाद

मृतक को कुल मुआवजे के रूप में Rs.21, निर्भरता के नुकसान के लिए 60,000/- और रु। 1,00,000 / - अन्य पारंपरिक शीर्षों के तहत-हालांकि, उच्च न्यायालय ने कोई कारण बताए बिना न्यायाधिकरण के निर्णय को संशोधित किया और एक

Rs.28,80,000/--प्रणय सेठी में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि यदि मृतक स्व-नियोजित था या किसी निश्चित नौकरी पर था वेतन, स्थापित आय का 40 प्रतिशत अतिरिक्त दिया जाना चाहिए जहां मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थी।

-

इसलिए, भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए मृतक की आय का 40 प्रतिशत जोड़ने के बाद, मृतक की कुल आय आती है Rs.40,32,000/- आय का एक चौथाई अर्थात <ID3/- मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए काटा जाता है, क्योंकि वह अपने पीछे तीन आश्रितों को छोड़ गया है-निर्भरता के नुकसान के लिए दावेदारों को देय कुल राशि Rs.30,24,000/- थी।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988: न्यायिक नोटिस-बड़ी संख्या में

एस के तहत दायर अपीलें। 173 विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं-उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों को कम करने और भुगतान से संबंधित अपीलों के त्वरित निपटान के लिए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा, न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय से अनुरोध किया जाता है कि वे धाराओं में संशोधन करके 'मोटर वाहन अपीलीय न्यायाधिकरण' के गठन पर विचार करें। 173 ताकि न्यायाधिकरण के निर्णय को चुनौती देने वाली अपीलें इस प्रकार गठित अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जा सकें-न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने और विचाराधीनता से बचने के लिए, विभिन्न क्षेत्रीय क्षेत्रों में अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठों की स्थापना पर विचार करना भी उचित होगा।

प्रत्येक राज्य की राजधानी के अलावा शहर, जैसा कि संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा इंगित किया जा सकता है और अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ आगे कोई अपील प्रदान नहीं की जाएगी-न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय से इसकी जांच करने का अनुरोध किया जाता है।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. मृतक पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहा था

पीडब्लू-3. पीडब्लू-3 द्वारा जारी प्रमाण पत्र से पता चलता है कि मृतक पीडब्लू-3 के संगठन में पर्यवेक्षक था और उसका वेतन था Rs.15,000/- प्रति माह। मृतक के पैन कार्ड से पता चलता है कि

मृत्यु के समय उनकी आयु 33 वर्ष थी। मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी यही बताया गया है। इसलिए, न्यायाधिकरण ने माना कि मृतक की आयु 33 वर्ष थी और

गुणक '16' लागू किया गया था। मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए आय का% काटने के बाद, न्यायाधिकरण ने निर्भरता के नुकसान के लिए कुल 60,000/- रुपये और अन्य पारंपरिक शीर्षों के तहत रु. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने कोई भी कारण बताए बिना, न्यायाधिकरण के निर्णय को संशोधित किया और Rs.17,00,000/- का मुआवजा दिया। चूंकि यह स्थापित किया गया था कि मृतक की मृत्यु के समय उसकी आयु 33 वर्ष थी, इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा '16' के गुणक का आवेदन उचित था। मृतक का वार्षिक वेतन रु. 1,80,000/- आता है जो '16' से गुणा करने पर Rs.28,80,000/- पर आता है। 40 % मृतक की आय को भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए जोड़ा जाना चाहिए। अतः कुल

मृतक की आय Rs.40,32,000/- है। आय का एक-चौथाई अर्थात 10,08,000/- व्यक्तिगत खर्चों के लिए काटा जाता है।

मृतक, क्योंकि वह अपने पीछे तीन आश्रितों को छोड़ गया है।

इसलिए, निर्भरता के नुकसान के लिए दावेदारों को देय कुल राशि Rs.30,24,000/- आती है। [पैरा 9,10,11,13,14,15] [437-सी, ई-जी; 438-डी; 438-जी-एच] रश्मीता विश्वाल बनाम।

विभागीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड।

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम। प्रणय सेठी

और अन्य (2017) 16 एस. सी. सी. 680: [2017] 13 एससीआर 100 - पीछा किया।

3. यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में दावा याचिकाएं, के तहत

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों को इसके तहत स्थापित विभिन्न दावा न्यायाधिकरणों के समक्ष दायर किया जा रहा है।

पूरे देश में। न्यायाधिकरणों के निर्णयों के खिलाफ, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत संबंधित उच्च न्यायालय में या तो दावेदारों द्वारा या उल्लंघन करने वाले वाहनों के बीमाकर्ताओं और मालिकों द्वारा अपील दायर की जाती है। ऐसी बड़ी संख्या में अपीलें विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उच्च न्यायालयों के समक्ष विचाराधीनता को कम करने और सड़क के पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान से संबंधित अपीलों का शीघ्र निपटान करने के लिए दुर्घटना, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 में संशोधन करके 'मोटर वाहन अपीलीय न्यायाधिकरण' के गठन पर विचार करना न्यायसंगत और उचित है ताकि न्यायाधिकरण के निर्णय को चुनौती देने वाली अपीलें अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जा सकें ताकि

गठित किया गया। न्याय विभाग, विधि मंत्रालय

और न्याय से इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया जाता है। [पारस 19,20] [439-एफ-एच; 440-ए, सी]

मामला कानून संदर्भ

[2017] 13 एससीआर 100

पीछा किया।

पै

रा 14

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.7549

2021 से।

उच्च न्यायालय के 07.03.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2016 के एम. ए. सी. ए. No.965 में कटक में उड़ीसा का।

रंजीत दुबे, गौतम भाले, करुणाकर महालिक, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

एकनाथ बंसल, परमानंद गौर, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. अब्दुल नजीर, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील दिनांकित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

07.03.2018 एम. ए. सी. ए. [2021] 9 एस. सी. आर. में कटक में उड़ीसा के उच्च न्यायालय द्वारा पारित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2016 का No.965 जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों/दावेदारों को देय मुआवजे को Rs.22,60,000/- से घटाकर

Rs.17,00,000/-।

3. पहला अपीलार्थी मनोज कुमार बिस्वाल की पत्नी है और दूसरा और तीसरा अपीलार्थी उनके नाबालिग बेटे हैं। मनोज कुमार बिस्वाल की मृत्यु एक मोटर वाहन दुर्घटना में हुई जो 09.05.2013 पर हुई थी। अपीलकर्ताओं ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-सह-मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, तालचेर जिले (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') के समक्ष एम. ए. सी. No.46/2013 वाली दावा याचिका दायर की, जिसमें मनोज कुमार बिस्वाल की मृत्यु के कारण मुआवजे की मांग की गई। प्रथम उत्तरदाता, मालिक

अपराध करने वाले ट्रक ने अपराध करने वाले ट्रक के चालक की ओर से किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार करते हुए अपना लिखित बयान दर्ज कराया। उत्तरदाता नं. 2 वह बीमाकर्ता है जिसने दावा याचिका का विरोध करते हुए लिखित बयान भी दायर किया है। 4. न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर सामग्री की सराहना करते हुए कहा कि दुर्घटना का कारण लापरवाही से गाड़ी चलाना था।

उसके चालक द्वारा अपराध करने वाला ट्रक। न्यायाधिकरण ने कुल मुआवजे का आदेश दिया

2014 के एम. ए. सी. ए. Nos.1134 और 1169 के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष। उच्च न्यायालय ने निर्णय को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से निपटाने के लिए न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया। न्यायाधिकरण ने एक बार फिर इस मामले पर विचार किया और कुल 60,000/- का मुआवजा दिया। बीमा कंपनी 2016 के एम. ए. सी. ए. No.965 वाली अपील दायर करके उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती दी। उस अपील में, उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के निर्णय को संशोधित किया है और मुआवजे का आदेश दिया है

Rs.17,00,000/- दावा याचिका की तारीख से प्राप्ति की तारीख तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ। 5. अपीलार्थी के विद्वान वकील का तर्क होगा कि उच्च न्यायालय बिना निर्दिष्ट किए मुआवजे को कम करने में उचित नहीं था

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार नहीं है। प्रणय सेठी और अन्य 1. 1 1 (2017) 16 एस. सी. सी. 680 आर. ए. एस. एम. आई. टी. ए. बिशल बनाम।

विभागीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड। [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

6. दूसरी ओर, प्रतिवादी-बीमाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया है।

7. हमने बार में की गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अध्ययन किया है।

8. दुर्घटना के कारण और मुआवजे का भुगतान करने के लिए बीमाकर्ता के दायित्व के संबंध में न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय का निष्कर्ष विवादित नहीं है। इसलिए, एकमात्र सवाल

विचार यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया मुआवजा पर्याप्त है।

9. मृतक एक कुश के अधीन पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहा था।

सामल (पीडब्लू-3), मेसर्स के मालिक। दिव्य निर्माण। प्रदर्शनी पी-8 पीडब्लू द्वारा जारी प्रमाण पत्र है-3 से पता चलता है कि मृतक एक पर्यवेक्षक था।

संगठन और उनका वेतन रु। 15,000 / - प्रति माह। अपने साक्ष्य में, पीडब्लू-3 ने यह भी कहा है कि मृतक को Rs.15,000/का वेतन दिया गया था।

प्रति माह। प्रथम अपीलार्थी-मृतक की पत्नी की जांच पीडब्लू-1 के रूप में की गई थी। उसने कहा है कि मृतक की मृत्यु के समय उसकी आय Rs.15,000/- प्रति माह थी। अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण ने उनकी आय का अनुमान रु। 15,000 / - . हम न्यायाधिकरण द्वारा वेतन के मूल्यांकन में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। 10. हालाँकि अपीलकर्ताओं का दावा है कि मृतक की मृत्यु के समय उसकी आयु 28 वर्ष थी, लेकिन उक्त तर्क के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसके विपरीत, मृतक का पैन कार्ड (प्रदर्शनी-7) दर्शाता है कि उसकी मृत्यु के समय उसकी आयु 33 वर्ष थी। मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी यही बताती है। इसलिए, न्यायाधिकरण ने माना कि मृतक की आयु 33 वर्ष थी और गुणक '16' लागू किया गया था। मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए आय का% काटने के बाद, न्यायाधिकरण ने कुल

निर्भरता के नुकसान के लिए Rs.21,60,000/- का मुआवजा और अन्य पारंपरिक शीर्षों के तहत रु. 1,00,000/- की राशि। इस प्रकार, न्यायाधिकरण द्वारा कुल राशि Rs.22,60,000/- घोषित की गई थी।

11. हालांकि, उच्च न्यायालय ने बिना कोई कारण बताए

जो भी हो, न्यायाधिकरण के निर्णय को संशोधित किया है और रुपये का मुआवजा दिया है। 17,00,000 / - निम्नानुसार धारण करके:

" प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए और ध्यान में रखते हुए दिए गए मुआवजे की राशि और जिसके आधार पर

उसी पर पहुंचा गया है, मुझे लगता है, न्याय के हित की सबसे अच्छी सेवा होगी, अगर [2021] 9 एस. सी. आर. की मुआवजे की राशि दी जाती है।

Rs.22,60,000/- को संशोधित किया गया है और घटाकर रु। 17,00,000 / - (रुपया केवल सत्रह लाख), जो दावेदारों को दिए गए ब्याज के साथ देय है। विवादित पुरस्कार को संशोधित किया गया है

उक्त सीमा "।

12. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ अपील दायर करने का प्रावधान करती है। यह तय कानून है कि एक अपील मूल न्यायालय/न्यायाधिकरण की कार्यवाही की निरंतरता है। अपील अपीलार्थी का एक मूल्यवान अधिकार है और अपील के स्तर पर, न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिए गए तथ्य और कानून के सभी प्रश्न

पुनर्विचार के लिए खुले हैं। इसलिए, अपीलीय न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने समक्ष सभी प्रश्नों का उत्तर दे और कारण बताकर मामले का निर्णय करे।

उसकी मृत्यु का समय। इसलिए, न्यायाधिकरण द्वारा '16' के गुणक का आवेदन भी उचित है। मृतक का वार्षिक वेतन रु। 1,80,000 / - जिसे '16' से गुणा करना होता है जो Rs.28,80,000/- हो जाता है। 14. 'प्रणय सेठी' में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने निर्णय दिया है कि यदि मृतक स्व-नियोजित था या एक निश्चित वेतन पर था, तो स्थापित आय का 40 प्रतिशत अतिरिक्त दिया जाना चाहिए जहां मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थीः

" यदि मृतक स्व-नियोजित था या एक निश्चित वेतन पर था, तो स्थापित आय का 40 प्रतिशत अतिरिक्त वारंट होना चाहिए जहां मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थी। 25 प्रतिशत की वृद्धि जहां मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच थी और 10 प्रतिशत जहां मृतक की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी, को गणना की आवश्यक विधि माना जाना चाहिए। स्थापित आय का अर्थ है आय घटाना कर घटक "।

15. 40 % इसलिए मृतक की आय को भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए जोड़ा जाना चाहिए जो Rs.11,52,000/- पर आता है। इस प्रकार,

मृतक की कुल आय Rs.40,32,000/- है। आय का एक-चौथाई अर्थात 10,08,000/- मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए काटा जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने पीछे तीन आश्रितों को छोड़ गया है। इसलिए, निर्भरता के नुकसान के लिए दावेदारों को देय कुल राशि Rs.30,24,000/- आती है।

16. 'प्रणय सेठी' में, इस न्यायालय ने कुल राशि का फैसला सुनाया है

Rs.70,000/- पारंपरिक शीर्षों के तहत, अर्थात्, संपत्ति का नुकसान, संघ का नुकसान और अंतिम संस्कार का खर्च। संविधान पीठ का उक्त निर्णय वर्ष 2017 में सुनाया गया था। इसलिए, दावेदार 10 प्रतिशत वृद्धि के हकदार हैं। Rs.16,500/- संपत्ति के नुकसान और पारंपरिक खर्चों के लिए दिया जाता है और Rs.44,000/- पति-पत्नी संघ के लिए दिया जाता है। इस प्रकार, दावेदारों को देय कुल मुआवजा इस प्रकार हैः

	निर्भरता के नुकसान की ओर	Rs.30,24,000 /
(1)		
	संपत्ति के नुकसान की ओर	Rs.16,500 /
(2)		
	अंतिम संस्कार का खर्च	
(3)		Rs.16,500 /
	पति-पत्नी संघ	
(4)		Rs.44,000 /
	कुल	Rs.31,1,01,000 /

17. जैसा कि ऊपर देखा गया है, उच्च न्यायालय पहले ही एक राशि का आदेश दे चुका है

Rs.17,00,000/- का। इस प्रकार, अपीलार्थियों को देय शेष राशि Rs.14,1,01,000/- है। दूसरा प्रत्यर्थी-बीमाकर्ता को दावा याचिका की तारीख से अब तक 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ न्यायाधिकरण के समक्ष <आई. डी. 1,1,000/- की राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है। आज से आठ सप्ताह के भीतर एहसास। इस तरह की जमा राशि जमा किए जाने पर, उसे दावेदारों/अपीलार्थियों को उसी अनुपात में वितरित किया जाएगा जो न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 27.02.2016 के पुरस्कार में निर्देशित किया गया है।

18. तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है। कोई आदेश नहीं होगा

लागतों के बारे में।

19. निर्णय से अलग होने से पहले, हम देख सकते हैं कि एक बड़ा

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत देश भर में स्थापित विभिन्न दावा न्यायाधिकरणों के समक्ष कई दावा याचिकाएं दायर की जा रही हैं। न्यायाधिकरणों के निर्णयों के खिलाफ, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत संबंधित उच्च न्यायालय में या तो दावेदारों द्वारा या उल्लंघन करने वाले वाहनों के बीमाकर्ताओं और मालिकों द्वारा अपील दायर की जाती है। ऐसी बड़ी संख्या में अपीलें विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालयों के समक्ष विचाराधीनता को कम करने और भुगतान से संबंधित अपीलों के त्वरित निपटान के लिए

सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा, 'मोटर वाहन अपीलीय न्यायाधिकरण' के गठन पर विचार करना न्यायसंगत और उचित होगा

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 में संशोधन करना ताकि अपील [2021] 9 एस. सी. आर.

न्यायाधिकरण के निर्णय को चुनौती देने के लिए इस प्रकार गठित अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया जा सकता है।

20. ऐसे अपीलीय न्यायाधिकरण की विभिन्न पीठों में दो वरिष्ठ जिला न्यायाधीश शामिल हो सकते हैं। न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करना और

विचाराधीनता से बचने के लिए, प्रत्येक राज्य की राजधानी के अलावा विभिन्न क्षेत्रीय शहरों में अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठों की स्थापना पर विचार करना भी उचित है, जैसा कि संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा संकेत दिया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए, अपीलीय न्यायाधिकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले उपयुक्त नियम भी बनाए जा सकते हैं। अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ आगे कोई अपील करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई भी पक्ष अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से व्यथित है, तो वह उचित राहत के लिए हमेशा संबंधित उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान कर सकता है। विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग से इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया जाता है।

21. रजिस्ट्री को इस निर्णय की एक प्रति सचिव, न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को भेजने का निर्देश दिया जाता है।

तुरंत। देविका गुजराल

अपी

ल का निपटारा किया गया।